रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 413] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2002/भाद्र 13, 1924

No. 413] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2002/BHADRA 13, 1924

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2002

सा.का.नि. 618(अ).— केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीज़ल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् -

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीज़ल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) दूसरा संशोधन आदेश, 2002 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीज़ल (प्रदाय और वितरण का वि[illegible] [illegible]देश, 1998 में -

(क) खण्ड 2 में -

(i) उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा -

"अपमिश्रण" से मोटर स्पिरिट / उच्च वेग डीज़ल से अवैध रूप में या अप्राधिकृत रूप से किसी बाह्य पदार्थ का मिलाना अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप वह उत्पाद अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं को या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है

(ii) उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा -

"उच्च वेग डीज़ल" से कोई हाइड्रो कार्बन तेल (जिसके अन्तर्गत खनिज कोल्जा तेल और तारपीन अनुकल्प नहीं है) अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं0 आई एस 1460 की अपेक्षाओं को या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा को पूरा करता है और संपीड़न ज्वलन इंजनों में, ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ।" ;

(iii) उपखण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा -

"मोटर स्पिरिट " से ऐसा कोई हाइड्रो कार्बन तेल (जिसके अन्तर्गत कच्चा खनिज तेल नहीं है)अभिप्रेत है, जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश सं० आई एस 2796 की अपेक्षाओं को या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा को पूरा करता है और जो स्फुलिंग प्रज्जवलन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है ।";

(iv) उपखण्ड (द) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा -

" विनिर्देशगत उत्पाद का विक्रय" से किसी व्यौहारी द्वारा ऐसी क्वालिटी के मोटर स्पिरिट या उच्च वेग डीज़ल का विक्रय अभिप्रेत है जो उच्च वेग डीज़ल के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का विनिर्देश सं० आई एस 2796 और आई एस 1460 के अनुरूप नहीं है या अनुसूची 1 की अपेक्षाओं अथवा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं ।

(ख) खण्ड 3 के उपखण्ड (iii) में, मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -

"(ख) कि उत्पादों की मात्रा और क्वालिटी तेल कम्पनी द्वारा जारी किए गए परिदान दस्तावेजों के अनुसार है और उत्पाद की क्वालिटी अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं को या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अपेक्षा को पूरा करती है । इस प्रयोजन के लिए व्यौहारी /उपभोक्ता अनुसूची 1 में उपदर्शित रूप में घनत्वों का एक अभिलेख बनाए रखेगा और उत्पाद का नमूना रखेगा और ऐसे अन्य उपाय करेगा जो तेल कम्पनी द्वारा विहित किए जाएं ।";

(ग) खण्ड 3(ड) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्त : स्थापित रखा जाएगा अर्थात् -

" 3(च) इथानोल का पैट्रोल और / या डीज़ल के साथ अपमिश्रण : केन्द्रीय सरकार यह आज्ञापक कर सकती है कि इथानोल की विनिर्दिष्ट मात्रा के साथ अपमिश्रित पैट्रोल या डीज़ल का प्रदाय किया जाए और सम्पूर्ण देश के विनिर्दिष्ट राज्यों / क्षेत्रों में ऐसे प्रदाय के प्रारम्भ के लिए समय रूपरेखा को अधिसूचित कर सकती है ।" ;

(घ) खण्ड 5 में, उपखण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा अर्थात् -

(1) खण्ड 4 में प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थति, टैंक, नोज़ल , यान या पात्र से यह जांच करने के लिए नमूने लेगा कि उत्पाद का घनत्व और / या अन्य परिमितियां अनुसूची 1 में उपदर्शित अपेक्षाओं को या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं को पूरा करती हैं । " ;

(ङ) अनुसूची 3 में, -

(i) मद (12) और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित सम्मिलित किया जाएगा "(12 क) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, पारादीप टर्मिनल, पारादीप जिला जगतसिंहपुर , 753003 (उड़ीसा)। " ;

(ii) मद 47 - ङ और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(47च) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पारादीप टर्मिनल प्रयोगशाला, अ[illegible]बंकी, पोस्ट बाक्स पारादीप पत्तन, 754142 (उड़ीसा)। " ;

(47छ) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पानीपत प्रयोगशाला, पानीपत मार्केटिंग काम्पलैक्स, ग्रा.बहोली,डाकखाना. दादियाना,पानीपत (हरियाणा) ।

(47ज) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, पानीपत रिफाइनरी प्रयोगशाला ग्रा.बहोली, डाकखाना.दादियाना,पानीपत (हरियाणा) ।

(iii) मद (58) और मद (59) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् -

"(58) चेन्नई पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, रिफाइनरी प्रयोगशाला, मनाली, चेन्नई 600019, तमिलनाडु

(59) कोची रिफाइनरी लिमिटेड, रिफाइनरी [illegible] पोस्ट अम्बालामुगल, कोची 682302, केरल ";

(iv) शीर्ष " अन्य रिफाइनरी प्रयोगशालाएं " के नीचे, मद 59 के पश्चात निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा अर्थात् -

"(59क) मंगलौर रिफाइनरी और पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड रिफाइनरी प्रयोगशाला, कुथेतूर, पो.आ. कटिपासा, मूदापादव, पो.बो.सं0 2, मंगलोर 574 149, कर्नाटक

(59ख) रिलायन्स पैट्रोलियम [illegible] रिफाइनरी प्रयोगशाला, [illegible] (ग्राम) दिग्विजयग्राम (पो.आ.) जामनगर (जिला), 361 140, गुजरात ";

(v) शीर्ष " सरकारी प्रयोगशालाएं " के नीचे, मद 62 के पश्चात निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा अर्थात् -

"(62ख) इँधन परीक्षण प्रयोगशाला, पैट्रोलियम प्रयोगशाला के लिए सोसाइटी, बी-14, सैक्टर 62, नोयडा, यू.पी. " ;

(vi) शीर्ष " अन्य प्रयोगशालाएं " के नीचे. मद 72 के पश्चात निम्नलिखित अन्त : स्थापित किया जाएगा अर्थात् -

"(73) रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कालेज, कुलोल रोड, नागपुर 440 013, महाराष्ट्र

(74) लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट आफ् टैक्नॉलाजी, अमरावती रोड, नागपुर 440 010 महाराष्ट्र ।

[फा. सं. पी-45018/28/2000-सीसी]
एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 सा.का.नि.-772(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए तत्पश्चात् सा.का.नि. 814(अ) दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 एवं सा.का.नि. 211(अ) दिनांक 15 मार्च, 2002 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2002

G.S.R. 618(E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Orders, 1998 namely:-

(1) This Order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Second Amendment Order, 2002

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2 In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998-

(a) In clause 2 -

(i) for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted:-

" adulteration means introduction of any foreign substance into Motor Spirit/High Speed Diesel illegally or unauthorisedly with the result that the product does not conform to the requirements indicated in Schedule I or any other requirement specified by the Central Government from time to time.";

(ii) for sub-clause (d), the following sub-clause shall be substituted:-

" 'high speed diesel' means any hydrocarbon oil (excluding mineral colza oil and turpentine substitute) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No. IS-1460 or any other requirement specified by the Central Government from time to time and is suitable for use as fuel in Compression Ignition Engines." ;

(iii) for sub-clause (f), the following sub-clause shall be substituted:-

"motor spirit means any hydrocarbon oil (excluding crude mineral oil) which meets the requirements of Bureau of Indian Standards specification No. IS-2796 or any other requirement specified by the Central Government from time to time and is suitable for use as fuel in Spark Ignition Engines.";

(iv) for sub-clause (r), the following sub-clause shall be substituted:-

"sale of off specification product means sale of Motor Spirit or High Speed Diesel by Dealer of quality not conforming to Bureau of Indian Standard specifications No IS 2796 & IS 1460 for Motor Spirit and High Speed Diesel respectively or not in conformity with requirement of Schedule 1 or any other requirement specified by the Central Government from time to time.";

(b) in clause 3, sub-clause (iii) for item (b) the following shall be substituted namely:-

"(b) that the quantity and quality of the products are as per delivery documents issued by the Oil Company and the quality of the product conforms to the requirements indicated in Schedule I or to any other requirement specified by the Central Government from time to time. For this purpose, the Dealer/Consumer shall maintain a record of densities as indicated in Schedule I and keep samples of product or take such other measures as prescribed by Oil Company.";

(c) after clause (3E), the following clause shall be inserted, namely:-

"3(F) Doping of Ethanol with Petrol and/or Diesel: The Central Government may make it mandatory to supply Petrol and/or Diesel doped with a specified quantity of Anhydrous Ethanol and notify the timeframe for commencement of such supply in specified States/areas or whole of the country.";

(d) in clause 5, for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted; namely:-

"(1) The Officer authorised in Clause 4 shall draw the sample from the tank, nozzle, vehicle or receptacle as the case may be to check whether density and/or other parameters of the Product conform to the requirements indicated in schedule I or any other requirement specified by the Central Government from time to time.";

(e) **in Schedule III -**

after item (12) and entries thereto, the following shall be included, namely:- "(12A) Hindustan Petroleum Corporation Limited, Paradeep Terminal, Paradeep Dist. Jagatsinghpur, 753003 (Orissa).";

(ii) after item 47-E and entries thereto, the following shall be inserted, namely:-

"(47F) Indian Oil Corporation Limited, Paradeep Terminal Laboratory, Atharabanki, P.O. Paradeep Port, 754142 (Orissa)

(47G) Indian Oil Corporation Limited Panipat Laboratory, Panipat Marketing Complex, Village Baholi, P.O.Dadiana, Panipat (Haryana).

(47H) Indian Oil Corporation Limited, Panipat Refinery Laboratory, Village Baholi, P.O. Dadiana, Panipat (Haryana)."

(iii) for items (58) and (59) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :-

" (58) Chennai Petroleum Corporation Limited, Refinery Laboratory, Manali, Chennai 600019, Tamil Nadu

(59) Kochi Refinery Limited, Refinery Laboratory, Post Ambalamugal , Kochi 682302, Kerala";

(iv) under the head 'Other Refinery Laboratories', after item 59 the following shall be inserted, namely:-

"(59A) Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited Refinery Laboratory, Kuthethoor, P.O. Katipalla, Moodapadav, P.B. No. 2 Mangalore, 574 149, Karnataka

(59 B) Reliance Petroleum Limited Refinery Laboratory, Moti Khavdi (Vill), Digvijayagram (PO), Jamnagar (Dist), 361 140, Gujarat";

(v) under the head 'Government Laboratories', after item 62 the following shall be inserted, namely:-

"(62B) Fuel Testing Laboratory, Society For Petroleum Laboratory, B-14, Sector 62, Noida, U.P.";

(vi) under the head 'Other Laboratories', after item 72 the following shall be inserted, namely:-

(73) Ramdev Baba Engineering College, Kalol Road, Nagpur, 440 013, Maharashtra

(74) Lakshmi Narayan Institute of Technology, Amravati Road, Nagpur, 440 010 Maharashtra

[F. No. P-45018/28/2000-CC]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

Footnote :— The principal order was published by GSR 772(E) dated 28th December 1998 and amended vide GSR 814(E) dated 29th October 2001 and GSR 211(E) dated 15th March 2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2002

263